HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1466/2026

Totaram Prajapat S/o Shri Ramchandra Prajapat, Aged About 32 Years, R/o Raghunath-Bas, P.s Baroda-Mev, Dist. Alwar (Rajasthan) (Presently In District Jail, Alwar, District Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anupam Sharma with Mr. Harshit Parashar
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना बड़ौदा मेव जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(2), 318(3), 318(4), 316(2), 319(2), 336(3)3 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी, डी, आईटी एक्ट व धारा 42(6), 42(3)(ई) दूरसंचार अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी सिम विक्रेता है, उस पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने परिवादी द्वारा दिए गए आधार कार्ड आदि दस्तावेजों का गलत उपयोग कर विभिन्न कम्पनियों की नयी सिम जनरेट करके विक्रय की हैं। वह दिनांक 06.01.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा परिवादी के आधार कार्ड का गलत उपयोग करके विभिन्न कम्पनियों की 8–9 फर्जी सिम बनाई हैं एवं एक ही व्यक्ति को दी गई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पर फरवरी से मई माह के मध्य में जो सिम लोगों को दी गई हैं, उन सिमों द्वारा 50 ऑनलाइन ठगी की वारदातें किए जाने की सूचनाएं मिली हैं। गम्भीर अपराध है, अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

उक्त तर्कों के जवाब में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तथाकथित 50 ऑनलाईन ठगी की वादरातों की सूचनाओं के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं है।

दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रजापति मोबाइल के नाम से सिम विक्रय का कार्य किया जाता है। उसके द्वारा जिस पीओएस से यह कार्य किया जाता है उस पीओएस से जारीशुदा 50 सिमों के विरूद्ध साइबर ठगी की ऑनलाइन शिकायतें दिनांक 12.02.2025 से 30.05.2025 तक की छोटी अवधि में ही प्राप्त होने का अभिलेख केस डायरी में संलग्न है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सिम खरीदने वाले ग्राहकों के आधार–कार्ड आदि दस्तावेजों का गलत प्रकार से प्रयोग करते हुए विभिन्न कम्पनियों की एक से अधिक सिमें जनरेट कर उनका विक्रय साइबर ठगों को किया जाना प्रथम–दृष्ट्या उपलब्ध अभिलेख एवं अभी तक के अनुसंधान से प्रकट हो रहा है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा अभियुक्त विभिन्न तरीकों से साइबर ठगी में लिप्त रहते हैं। इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकरण में भी प्रार्थी/अभियुक्त का ग्राहकों के दस्तावेजों का गलत उपयोग कर फर्जी तरीके से सिमें जनरेट करना एवं उनका विक्रय साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों को किया जाना भी प्रकट हुआ है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /46